भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1186
02.03.2020 को उत्तर के लिए

नॉन एटेनमेंट शहरों को चिह्नित किया जाना

1186. श्री संजय सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2017 के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार 241 शहरों को नॉन एटेनमेंट सिटीज़ (वायु गुणवत्ता स्तर प्राप्त करने में विफल रहे शहर) के रूप में चिह्नित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केवल 122 शहरों को ही नॉन एटेनमेंट सिटीज़ के रूप में वर्गीकृत किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक इन शहरों में प्रक्रिया कितनी प्रभावशाली रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) वर्ष 2011-15 की समयावधि के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता (एएक्यू) डाटा के आधार पर, 102 शहरों को वास्तविक रूप से लक्ष्य प्राप्त न करने वाले शहरों (गैर लक्ष्य प्राप्त) के रूप में पहचाना या चिह्नित किया गया है जो लगातार पांच वर्षों से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करते पाए गए। तत्पश्चात, वर्ष 2014-18 की समयावधि के आंकड़ों पर विचार किया गया और 20 अतिरिक्त शहरों को गैर लक्ष्य प्राप्त शहरों के रूप में पहचाना या चिह्नित किया गया है।

एनसीएपी के अंतर्गत, 102 गैर लक्ष्य प्राप्त शहरों में जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए शहर विशिष्ट कार्य योजना तैयार की गई है। बाद में, सूची में जोड़े गए सभी 20 गैर लक्ष्य प्राप्त शहरों के लिए अल्प, मध्य और दीर्घावधिक कार्रवाई के साथ प्रदूषण के सभी शहर विशिष्ट स्रोतों (मृदा और सड़क धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, एमएसडब्ल्यू दहन, निर्माण सामग्री और उपयोग आदि) को लक्षित करते हुए शहर कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है।

*****